आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
2	3

26.2.19

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।
आर0ई0 वाद सं0– 28/2013–14
आवेदिका– तालामय हॉसदा
बनाम
विपक्षी– बिटी टुडू वगै0
आदेश

आवेदिका तालमय हॉसदा पति स्व0 बुधन हेम्ब्रम सा0–बांसकोला पो0–सकरीगली थाना– तालझारी जिला–साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दाखिल आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किये है। आवेदिका के आवेदन पत्र के अवलोकन से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवही प्रारम्भ की गई, तथा आवेदन में वर्णित बिन्दओं पर जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, तालझारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, तथा उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर विपक्षी से कारण पृच्छा की मांग की गई।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
जमनी	17	52	06 कट्ठा

आज आवेदिका स्वयं उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा जमनी बंगला महराजपुर महल दामिनकोह जमाबेदी न0 17 के दाग न0 50 रकवा 00–11–10, दाग न0 52 रकवा 01–07–17 दाग न0 164 रकवा 00–13–06 धूर दाग न0 369 रकवा 01–06–00 एवं दाग न0 546 रकवा 01–06–12 अर्थात सभी दागों से कुल रकवा 05–05–05 धूर जमीन आवेदिका के ददिया ससुर ठाकुर किस्कु वल्द शुना किस्कु एवं शुना किस्कु वो चुनु किस्कु पेशरान गांगु किस्कु के नाम से खतियान में दर्ज है। जिसका लगान रसीद भी अद्यतन प्राप्त करते आ रही है। खतियानी रैयत ठाकुर किस्कु की एकलौती पुत्री थी। जिसका विवाह घर जमाई शादी संथाली रिति–रिवाज से ठाकुर हेम्ब्रम के साथ हुई। उक्त दोनो के दम्पत्य जीवन से एकलौता पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम बुधन हेम्ब्रम है, जिनकी शादी तालामय हॉसदा आवेदिका के साथ हुई। विपक्षी संख्या 01 और 02 ने जमाबंदी न0 17 दाग न0 52 का रकवा 01–17–17 धूर जमीन में से 06 कट्ठा जमीन विपक्षी क्र0 सं0 03 एवं 04 के पास छल बेईमानी एवं धोखेबाजी से बेच चुके है। उक्त 06 कट्ठा जमीन पर विपक्षी क्र 03 एवं 04 लाईन होटल बनाकर होटल चला रहे है, जबकि विपक्षी क्र सं0 01 एवं 02 जमाबंदी न0 17 की कुल रकवा 05–05–05 धूर जमीन में जोर जबर्दस्ती दखल कबजा कर लिए है, जबकि कानुन रुप से विपक्षी क्रम संख्या 01 एवं 02 का कोई अधिकार नही है। आवेदिका के पास उक्त वर्णित सभी जमीन का वैधानिक कागजात उपलब्ध है। विपक्षी क्रम संख्या 01 एवं 02 के पास उक्त वर्णित सभी जमीन का कोई कागजात उपलब्ध नही है, सिर्फ बाहुबल के जरिये कब्जा करके बिक्री किये है, जबकि उक्त सभी दागो की जमीन अहस्तान्तरणीय है। जमाबंदी न0 17 के दाग न0 51 रकवा 01–01–13 दाग न0 53 रकवा 00–19–07 दाग न0 165 रकवा 01–04–04 दाग न0 281 रकवा 01–04–16 एवं दाग न0 545 रकवा 10–18–03 धूर जमीन पर खतियानी रैयत शुना किस्कु को चुनु किस्कु पेशरान गांगु किस्कु के वंशज का अधिकार है, जो खतियानी पर्चा के दखल कॉलम में अंकित किया गया है। जबकि ज0न0 17 के दाग न0 50 रकवा

Scanned with CamScanner

00–11–10, दाग न0 52 रकवा 01–07–17 दाग न0 164 रकवा 00–13–06 धूर दाग 369 रकवा 01–06–00 एवं दाग न0 546 रकवा 01–06–12 दाग न0 467 रकवा 00–07– धुर जमीन खतियानी रैयत ठाकुर किस्कु वल्द शुना किस्कु का खितयानी पर्चा व दख कॉलम में अंकित है।

अतः आवेदिका के विद्वान अधिकवक्ता ने विपक्षीगण को उक्त जमीन से उच्छेद करने का अनुरोध किये है।

विपक्षीगण ने इस वाद में अपना पक्ष रखना उचित नही समझा, और न ही कारणपृच्छा/कागजात समर्पित किये है। सिर्फ विपक्षी क्रम संख्या 03 संजय टुडू ने दिनांक 23.06.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर कहा कि उक्त वर्णित जमीन से मेरा कोई संबंध एवं तालुक नही है अतः इस वाद से अपना नाम हटाने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, पतना ने अपने पत्र सं0 185/रा0, दिनांक 22.05.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा जमनी थाना नं0 03 बंगला महराजपुर के अन्तर्गत प्रधानी तथा अहस्तान्तरणी मौजा है। उक्त मौजा जमनी न0 03 जमाबंदी न0 17 दाग न0 52 रकवा 01–07–17 धूर किस्म जमीन धानी अव्वल खतियान स्लीप में ठाकुर किस्कु वल्द शुना किस्कु वो शुना किस्कु वो चुनु पेशरन गांगु किस्कु कौम संथाल सा0–देह दर्ज है। दाग न0 52 के खतियानी स्लीप के कॉलम में ठाकुर किस्कु दर्ज है।

जाँच के क्रम में आवेदिका द्वारा खतियान स्लीप की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। घर जमाई कागज मांग करने पर कागज प्रस्तुत नही किया गया। स्थानीय जाँच के क्रम में पाया कि विपक्षी न0 01 एवं 02 सा0–चितरिया थाना बोरियों जिला–साहेबगंज के होने के कारण इनका पक्ष प्रस्तुत नही हो सका है। खतियानी स्लीप के अनुसार विपक्षी 01 एवं 02 का पारिश में भिन्नता है तथा खतियानी रैयत के साथ कोई संबंध नही है।

आवेदन पत्र में अंकित मौजा जमनी न0 03 के जमाबंदी न0 17 के दाग न0 52 रकवा 01–07–17 धूर का अंश रकवा 00–06–00 धूर जमीन विपक्षी न0 01 एवं 02 द्वारा विपक्षी न0 03 एवं 04 को बिना अधिकार के अवैध रुप से दिया गया था। जैसा जाँच के क्रम में स्थानीय लोगों से पूछ–ताछ करने पर जिसपर विपक्षी संख्या 03 एवं 04 लाईन होटल खोलकर चलाया जाना कहा गया है, लेकिन जाँच के क्रम में वर्त्तमान में लाईन होटल अवस्थित नही पाया गया है। उक्त लार्द होटल पूर्व में अवस्थित था जो विपक्षी न0 03 एवं 04 चलाते थे।

अंचल अधिकारी तालझारी के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण खतियानी रैयत के वंशावली से नही आते है।

अतएव संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् विपक्षीगण के विरुद्ध उच्छेदी का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेंजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner